न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 114/2011

1. हरिसिंह पुत्र श्री धन्ना जाति गुर्जर, निवासी ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस डी ओ) सिकराय।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 156, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर राज0।
3. आई जे एम इण्डिया इन्फ्रा स्ट्रेक्चर लिमिटेड जरिये प्रबंधक बैस कैम्प खैडली एन एच 11 दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मुआवजा राशि दिलवाने बाबत।

उपस्थिति– 1. श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 05.11.2020

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय में आराजी खसरा नम्बर 39, 39/1 लगा0 39/8 भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने उक्त आराजी में मौके पर बाउण्ड्रीवाल व दो कमरो का निर्माण कर रखा है तथा वहीं प्रार्थी निवास कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग महुवा जयपुर फोरलेनीकरण हेतु उक्त खसरा नम्बरान में से कुल 2023.42 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त की गई है। जिसका मुअवाजा 3,65,487/– रूपये उदघोषित किया। जबकि सम्पूर्ण भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के रूप में है। प्रार्थी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा उसमें स्थित संरचना पुख्ता बाउण्डरीवाल, कमरे, खरसम मोरम मार्ग, पेड का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से एवं भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक एवं आवासीय निवास के हिसाब से अतिरिक्त मुआवजा राशि दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी को बहस हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस नही करने पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग महवा –जयपुर सेक्शन के फोरलेन के निर्माण हेतु प्रार्थी की ग्राम

धूलकोट तहसील सिकराय स्थित आराजी खसरा नम्बर 39, 39/1 लगा0 39/8 में से कुल 2023.42 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। जिसकी मुआवजा राशि 3,65,487 रूपये निर्धारित की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में पुख्ता बाउण्डरीवाल मकान, दुकाने आदि निर्मित होना एवं बोरिंग जिस पर प्रार्थी का विधुत कनेक्शन होना तथा प्रार्थी को निर्मित संरचना व बिजली शिफटिंग का कुल मुआवजा लगभग 600000/–रूपये प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी होना व्यक्त करते हुए अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक एवं आवासीय निवास के हिसाब से अतिरिक्त मुआवजा राशि अदा करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर – महवा खण्ड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्त करने वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 को जारी की गई। जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 25.05.2006 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया गया। धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परिपेक्ष्य में जो आपत्तियां की गई उनका धारा 3सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। तत्पश्चात धारा 3डी के तहत दिनांक 14.09.2006 को अधिसूचना जारी की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 39 व 39/1 लगा0 39/8 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर अवार्ड आदेश सम्बन्धित हितधारी/खातेदार के पक्ष में पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया है। धारा 3एच (1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39 व 39/1 लगा0 39/8 की अवाप्तशुदा रकबा 2023.42 वर्गमीटर किस्म चाही खुस्क बारानी प्रथम की कुल मुआवजा राशि 3,65,487/– रूपये निर्धारित की गई। प्रार्थी को हुई सुखाचार क्षतिपूर्ति बाबत मुआवजा राशि अदा की जा चुकी है। उक्त अवाप्तशुदा 2023.42 वर्गमीटर किस्म चाही खुस्क बारानी प्रथम की मुआवजा राशि 146.28 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा राशि 2,95,986/–रूपये, निर्मित संरचनाओं की 36,275/–रूपये, 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 33,227/– रूपये कुल मुआवजा राशि 3,65,487/– रूपये निर्धारित की गई। प्रार्थी नितान्त ही गलत आधारों पर कृषि भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है, जो स्वीकार करने योग्य नही है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 464 दिनांक 03.08.2017 में अंकितानुसार ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय के खसरा नम्बर 39 चाही खुस्क 39/1 लगायत 39/8 चाही खुस्क रकबा 2023.42 वर्गमीटर अवाप्त की गई थी का मौजूदा डीएलसी दरों के अनुसार नियमानुसार ही मुआवजा निर्धारित किया गया है। तत्समय राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मुआवजा निर्धारण किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र संख्या 114/2011</u>

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का तत्समय राजस्व रिकार्ड में अंकन किस्म के अनुसार प्रार्थी को मुआवजा निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि का वाणिज्यिक एवं आवासीय दर से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का निवेदन किया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेजात पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 05 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर,दौसा